

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर।

पत्रांक :—जिशिअ / प्राशि / अज / मान्यता / 2013–14

4180

दिनांक : 15) 7/13

प्राचीनकाल

ଦୀର୍ଘ ବୈକାଶ  
ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ଉତ୍ସାହ

विषय :- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र

महोदय / नहोदय

आपके दिनांक ..... के आवेदन और इस संदर्भ में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से म.....

प्राधिक शिळा सुभजन कौर वा 'ज्ञान अकादमी' प्रत्यक्ष घाराएवा

पुरा-३ में निर्दिष्ट गालकों के लिए विद्यालय और अधिनियम की धारा-१२ (2) के उपर्युक्त नियमों का प्रतिपूर्विक लिया जाएगा। इसी प्रतिपूर्विक राज्य करन के लिए विद्यालय एक वृद्धि करने वाला रखेगा।

- 6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म रथान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :—
- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निक्षासित नहीं किया जायेगा।?
  - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकाधित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
  - (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकाधित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पारा इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाच वर्ष के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  - (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक रखयें को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकाधित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में व्याधनिर्दिष्ट विद्यालय के नामकों और नियमों को बनाए रखना, अतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएं निम्न नुसार हैं -  
 विद्यालय परिसर का क्षेत्र  
 कुल निर्मित क्षेत्र  
 क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल  
 कक्षा कमरों की संख्या  
 प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भडार कक्ष  
 बालक और यात्रिकाओं के लिए पृथक शौचालय  
 पेयजल सुविधा  
 मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोइं वाधा रहित पहुंच  
 अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उस्करी/पुस्तकालय को उपलब्धता

*Principal*  
**Central Academy**  
 Prayagi Nagar,  
 Kotta, AJMER

*Mehboob*  
 President  
 Central Academy Education Society  
 AJMER

- 11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
- 12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14 विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। पन्थेक लेखा विवरण नी एक प्रति पन्थेक गर्फ़ जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को भेजी जानी चाहिए।
- 16 आपके विद्यालय को आवित भान्यता कोड सख्यांक..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान धीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)..... द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो भान्यता संबंधी शासी के रूपात् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के दायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि नोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
- 19 संलग्न उपाय-उपयोग यो अनुदान आप नोई राहें।

*Mukesh*  
President  
Central Academy Education Society  
A.I.M.E.R.

*Ae*  
Principal  
Central Academy  
P. O. - Diger,  
K. S. C. H., U. P. E. R.

भवदीय,  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा.....